प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक- 01.03.2024**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 40/24 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर लूटेरों को बाद पुलिस मुठभेड किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोका कारतूस, 01 मोटरसाईकिल तथा लूटे हुए 300 रुपये नगद, 01 ट्रैक्टर आयशर व 01 ट्राली चौपहिया बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.02.2024 को थाना रमाला पर वादी कृष्णपाल पुत्र शीतल निवासी गांव सूप थाना रमाला ने लिखित तहरीर दी कि 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी से उसका ट्रैक्टर आयशर नं0 UMN3811 व ट्राली चौपहिया व 300 रुपये लूट लिये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 40/24 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण 1-सागर पुत्र स्व0 रामशरण निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत व 2-आकाश पुत्र स्व0 जसवीर निवासी ग्राम बरबाला थाना रमाला जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 40/24 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए शातिर 02 लूटेरें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे/निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय

01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस, 01 मोटरसाईकिल तथा लूटे हुए 300 रुपये नगद, 01 ट्रैक्टर आयशर व 01 ट्राली चौपहिया बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सागर पुत्र स्व0 रामशरण निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-आकाश पुत्र स्व0 जसवीर निवासी ग्राम बरबाला थाना रमाला जनपद बागपत।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तो नें पूछताछ पर बताया कि हम दोनों आपस में घनिष्ट दोस्त है हम दोनों ने मिलकर पहले भी दिसम्बर महीने में कोहरे का फायदा उठाकर ग्राम रमाला में तिरंगा चौराहा से गन्ने से भरी हुई ट्राली चोरी की थी और शामली में ले जाकर राह चलते व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताकर 22 हजार रुपये में बेच दी थी। हम दोनों ने दिनांक 28-02-2024 की रात्रि में करीब 8.30 बजे अपनी मो0सा0 UP 17-X-7056 से बासौली के पास एक ट्रैक्टर ट्राली चालक की कनपटी पर तमन्चा रखकर उसकी ट्रैक्टर ट्राली व 300 रूपये लूट लिये थे।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 सुपर स्प्लेन्डर नं0 UP17X7056।
- लूटे हुआ 01 ट्रैक्टर आयशर, ट्राली चौपहिया व 300 रुपये नगद।

अभियुक्तों के साथ पुलिस मुठभेड़-

थाना रमाला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय जब गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण

पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए बाद पुलिस मुठभेड दोनों अभियुक्तों सागर व आकाश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 42/24 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व 3/25/27 आमर्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 40/24 धारा 392 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।

3- मु0अ0सं0 379/2023 धारा 379 थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-SO श्री शिवदत्त सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना रमाला जनपद बागपत।

4-है0का0 263 मौ0 आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत।

5-का0 19 सोनित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

6-का0 1032 ब्रजेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट

जनपद बागपत **दिनाँक 01.03.2024**

बागपत पुलिस ने 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-कर्मवीर उर्फ करमू निवासी नूरपुर मुजविदा थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-राजीव पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-सुभाष पुत्र बेदू निवासी ग्राम तमेलागढी थाना दोघट जनपद बागपत।

4-नीरज पुत्र मनोज निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-महावीर पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6-जावेद पुत्र इस्लाम निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-थाना खेकड़ा पुलिस टीम।
2-थाना चांदीनगर पुलिस टीम।
3-थाना दोघट पुलिस टीम।
4- थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम।
5-थाना बडौत पुलिस टीम।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा **दिनाँक 01.03.2024**

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 50/24 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से मोबाइल की दुकान से चोरी किये हुए 50,000 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28/02/2024 को थाना खेकड़ा पर वादी फरमान पुत्र ताहीर निवासी रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसकी दुकान के गल्ले में रखे 1,22,000 रूपये किसी अज्ञात चोर ने रात्री में चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 50/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत

थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 50/2024 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से मोबाइल की दुकान से चोरी किये हुये 50,000/- रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- मुकदमा उपरोक्त मे बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वली अहमद उर्फ अली अहमद निवासी गांव माण्डी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण-

- मोबाइल की दुकान से चोरी किये हुए 50,000 रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री मुकेश कुमार।

2- है0का0 53 रविन्द्र कुमार।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 01.03.24**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 41/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक ट्रैक्टर आयसर मय ट्राली बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.2.24 को थाना छपरौली पर वादी देवेन्द्र पुत्र वेदू कश्यप निवाली ग्राम सिलाना थाना छपरौली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-सन्नी पुत्र जयवीर निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत व 2-बाइस्तवा भोपू उर्फ मोन्टू पुत्र कुवरपाल निवासी एलम थाना कांधला जनपद शामली द्वारा वादी का ट्रैक्टर चोरी लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 41/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 41/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक ट्रैक्टर आयसर मय ट्राली बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सन्नी पुत्र जयवीर निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक ट्रैक्टर आयसर मय ट्राली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना छपरौली।

2-का. 953 अंकुल थाना छपरौली।

3-का. 227 अनिल डागुर थाना छपरौली।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 01.03.2024

थाना बडौत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 42 अध्धा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 42 अध्धा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 119/24 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रदीप पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम खेडा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **42 अध्धे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री अजय कुमार आबकारी विभाग जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3-है0का0 दिनेश कुमार आबकारी विभाग जनपद बागपत

4-है0का0 अश्वनी कुमार आबकारी विभाग जनपद बागपत

5- का0 वैभव कुमार आबकारी विभाग जनपद बागपत।

6- का0 दीपक आबकारी विभाग जनपद बागपत।

7-है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बड़ौत **दिनाँक 01.03.2024**

थाना बड़ौत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से सटटा पर्चा व 390 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सटटा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से सटटा पर्चा व 390 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

परवेज पुत्र इकबाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- सटटा पर्चा।
- 390 रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत।

2-का0 194 तरूण कुमार थाना बड़ौत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 01.03.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 21 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब चन्डीगढ मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 21 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब 111 ACE RUM चन्डीगढ मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दुर्गा सिंह पुत्र कंवर सिंह निवासी ग्राम पाबला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं01096/15 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 391/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 831/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 161/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 21 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब 111 ACE RUM चन्डीगढ मार्का ।0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 422 राजन थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 01.03.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/24 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 149/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तार व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलजार पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम मिलाना थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 853/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत
2-मु0अ0सं0 870/23 धारा 379/411 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत
3-मु0अ0सं0 149/24 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
4--मु0अ0सं0 161/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- **एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2. का0 60 संदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 01.03.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 46/2024 धारा 307/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पलकटी बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.02.2024 को थाना बिनौली पर वादी सोनू पुत्र समीम निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.रविन्द्र पुत्र रत्न सिंह, 2.सतेन्द्र पुत्र रत्न सिंह निवासीगण ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की माता व पत्नी के ऊपर बामनौली इण्टर कालेज के गेट के समाने घास काटते समय जान से मारने की नियत से पलकटी से हमला किया जिससे वादी की माता गम्भीर रूप से घायल हो गई तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 46/24 धारा 307/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 46/24 धारा 307/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पलकटी बरामद की गयी है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रविन्द्र पुत्र रत्न सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त पलकटी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

2- निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

4- का0 343 पुरुषोत्तम थाना बिनौली जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

साइबर क्राइम थाना जनपद बागपत

फरवरी-2024

साइबर क्राइम थाना जनपद बागपत के द्वारा माह फरवरी 2024 में 05 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा-धड़ी में कुल 1,66,620 रुपये वापस कराये गये–

साइबर क्राइम थाना जनपद बागपत द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0पत्र सं0	बरामद धनराशि
1	बागपत	प्रा0 पत्र सं0- 526/23	17000.00
2	खेकडा	प्रा0 पत्र सं0- 68/23	24930.00
3	बडौत	NCRP No- 33102220011127	100000.00

4	बागपत	NCRP No- 33110230153619	5500.00
5	खेकड़ा	NCRP No- 33112220109382	19190.00
		कुल योग	1,66,620 रु0

BAGHPAT POLICE

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

बागपत पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह फरवरी में कुल- 30 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गयाः-

बागपत पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह फरवरी में कुल- 30 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा
01	बागपत	1080/22	363 भादवि
02	बागपत	347/23	366 भादवि

03	बागपत	25/24	365 भादवि
04	बागपत	78/24	363 भादवि
05	बागपत	90/24	366 भादवि
06	बागपत	91/24	363 भादवि
07	बागपत	96/24	365 भादवि
08	बागपत	100/24	366 भादवि
09	बागपत	114/24	363 भादवि
10	बागपत	121/24	363 भादवि
11	बागपत	136/24	363 भादवि
12	सिंघावली अहीर	10/24	366 भादवि
13	सिंघावली अहीर	28/24	363 भादवि
14	सिंघावली अहीर	21/24	366 भादवि
15	बिनौली	38/24	366 भादवि
16	चांदीनगर	34/24	363 भादवि
17	बालैनी	23/24	365 भादवि
18	बडौत	62/23	366 भादवि
19	बडौत	925/23	366 भादवि
20	बडौत	926/23	366 भादवि
21	बडौत	47/24	366 भादवि
22	बडौत	55/24	363 भादवि

23	बडौत	81/24	366 भादवि
24	बडौत	89/24	363 भादवि
25	बडौत	10924	366 भादवि (महिला व उसका 01 बच्चा)
26	दोघट	51/24	365 भादवि
27	छपरौली	03/24	363 भादवि
28	छपरौली	19/24	366 भादवि
29	छपरौली	25/24	366 भादवि